1

[11/7/2023]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र० 817, प्रश्नकर्ता : श्री बैजनाथ कुशवाह

प्रश्न सं. [क्र. 817]

वि.स. अतारांकित प्रश्न क्र० 817 के प्रश्नांश (क) का परिशिष्ट "अ"

कुल पृष्ठ (1) से (3) तक, सदन में उत्तर देने की दिनांक 11.07.23

सामुदायिक प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्देश

आशा

ग्रामीण समिति

सहयोगी ढांचा

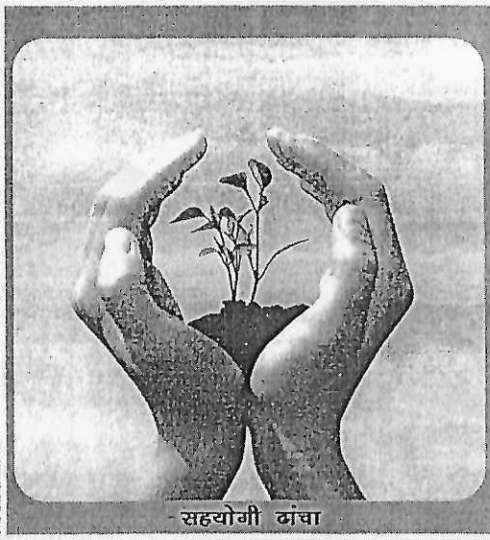

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

(डॉ. शैलेष कुमार साकल्ले)

उपसंचालक, आशा कार्यक्रम

(2)

आशा दिशानिर्देश

भाग क

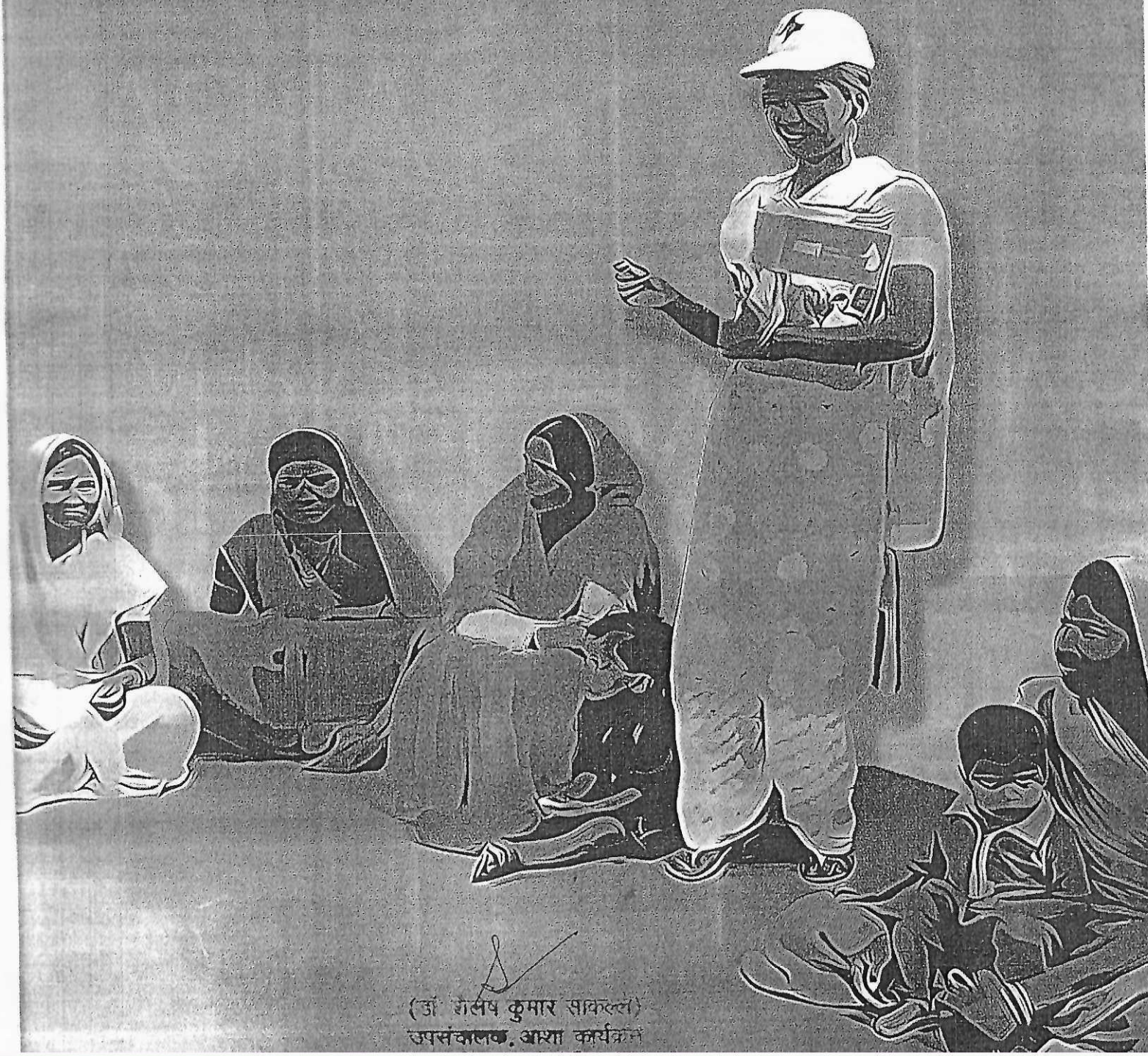

(डॉ. शैलेष कुमार सकल्ले)
उपसंचालक, आशा कार्यक्रम

खंड – 7: आशा को मुआवजा

वह, मुख्य रूप से एक "मानद स्वयंसेविका" है, किंतु विशेष परिस्थितियों (जैसे प्रशिक्षण, मासिक समीक्षा एवं अन्य बैठकों में उपस्थिति) के लिए उसे अपना समय देने के लिए मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा वह विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहन पाने की भी हकदार है। उसे कंडोम, गर्भनिरोधक गोलियां, सैनिटरी नैपकिन इत्यादि जैसे कुछ स्वास्थ्य उत्पादों के सामुदायिक स्तर पर वितरण के लिए भी कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एनआरएचएम के द्वितीय चरण में आशा कार्यक्रम की स्वैच्छिक प्रकृति को बनाए रखने की जरूरत है। उसके कार्य की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि उसकी मुख्य आजीविका को प्रभावित किए बिना कार्य संपन्न किया जा सके, और इन कार्यों में अपना समय देने के लिए उसे निष्पादन आधारित भुगतान के रूप में समुचित मुआवजा दिया जाए।[2]

निम्नलिखित परिस्थितियों में उसे अपने समय के लिए मुआवजा दिया जाता है:

(क) उसकी प्रशिक्षण अवधि के लिए यात्रा भुगतान (टीए) और दैनिक भुगतान (डीए) के रूप में (इस प्रकार उसे उन दिनों में उसकी आजीविका के हुए नुकसान का आंशिक रूप से मुआवजा मिल जाता है)

(ख) मासिक/द्वि–मासिक बैठकों में भाग लने के लिए, (यात्रा और बैठक स्थल पर नाश्ते के अलावा)। (परिस्थितियों (क) एवं (ख) के लिए भुगतान प्रशिक्षण स्थल पर किया जाए, जब आशा नियमित प्रशिक्षण सत्रों और/या बैठकों के लिए आती है)

(ग) स्वास्थ्य अथवा अन्य सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों से संबंधित विशिष्ट आकलनयोग्य कार्यों को आरंभ करने के लिए (अनुलग्नक – 6 देखें)।

अन्य प्रोत्साहन

समूह स्तर पर सामाजिक मान्यता भी प्रदान की जाती है। राज्यों को ऐसे टीवी और रेडियो कार्यक्रमों, होर्डिंगों और सार्वजनिक विज्ञापनों में निवेश करना चाहिए, जिसमें आशा को ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिसकी जिम्मेदारी बहुत अधिक है, और जो स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाली एक महत्वपूर्ण सामुदायिक संसाधन है। यह अपने आप में एक प्रोत्साहन होगा।

राज्य, अन्य प्रोत्साहनों को शामिल करने पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि:

- सामूहिक सम्मान/पुरस्कार
- गैर–आर्थिक प्रोत्साहन जैसे– परिचय भ्रमण, वार्षिक सम्मेलन आदि
- साइकिलें, आई.डी कार्ड आदि
- सामाजिक सुरक्षा

आशा के प्रशिक्षण और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए सांकेतिक मुआवजा पैकेज (अनुलग्नक 6) में दिया गया है। राज्य वर्तमान प्रोत्साहन राशि प्रदान करने वाले कार्यों में और कार्य शामिल कर सकते हैं। कार्यक्रम में नए प्रोत्साहन राशि युक्त कार्य शामिल होने पर राज्यों को मुआवजा पैकेज में भी संशोधन करना होगा।

नोटः आशा प्रोत्साहन/मुआवजा राशि का नियमित रूप से और यथासंभव बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए। राज्य सभी बैंकों से बात कर कम जमाराशि पर जुर्माना नहीं लगाने का अनुरोध करें और आशा का 'जीरो बैलेंस एकांउंट' खोलने पर जोर दें। क्योंकि पाया गया है कि मुख्यतः इन दो कारणों से आशा अपना बैंक खाता नहीं खोल पाती हैं।

आशा हेल्प डेस्क और आशा के लिए विश्राम कक्ष

आशा समुदाय और स्वास्थ्य केंद्रों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। वे नियमित तौर पर गर्भवती या बीमार माताओं, बच्चों और जटिलता वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर करती हैं। समुचित ढंग से सेवा उपलब्ध कराने, रोगियों का मार्गदर्शन करने और रेफरल के दौरान स्वास्थ्य केंद्रो (अस्पतालों) में उनकी सहायता करने के लिए एक आशा हेल्प डेस्क स्थापित किया जाना चाहिए।

2 बारहवीं योजना के लिए एनएआरएचएम के कार्यकारी समूह की सिफारिशें।

(डॉ. शैलेश कुमार सांकलेचा)
उपसंचालक, आशा कार्यक्रम
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन